<u>न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जोधपुर</u>

परिवाद संख्याः 03 / 2013

प्रार्थी

सरकार जरीये श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

<u>बनाम्</u>

अप्रार्थीगण

1. श्री सन्तोष जैन उम्र 29 वर्ष पुत्र श्री सम्पतराज जी जाति जैन(एफ बी ओ)
   फर्म–मैसर्स–पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर
   निवासी– काला भाटा, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर ।
2. श्री सम्पतराज कांकरिया(जैन)(एफ बी ओ / मालिक)
   फर्म–मैसर्स–पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर
   निवासी– काला भाटा, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर ।
3. श्री राहुल पारीक पुत्र श्री नित्यानन्द पारीक(निर्माता / मालिक)
   फर्म–मैसर्स रामजी डेयरी मिल्क फूड प्रोडक्ट इण्डिया, एच–124 रिको करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, राजस्थान । निवासी–सोनगिरी का कुंआ, पारीक चौक, बिकानेर, राजस्थान ।

<u>आदेश</u>

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2) क्रार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरक्ति जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट / रीडर / 2012 / 1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण **1.** श्री सन्तोष जैन उम्र 29 वर्ष पुत्र श्री सम्पतराज जी जाति जैन**(एफ बी ओ)**फर्म–मैसर्स–पा र्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर निवासी– काला भाटा, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर । **2.** श्री सम्पतराज कांकरिया(जैन)**(एफ बी ओ / मालिक)**फर्म–मैसर्स–पा र्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर निवासी– काला भाटा, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर । **3.** श्री राहुल पारीक पुत्र श्री नित्यानन्द पारीक**(निर्माता / मालिक)**फर्म–मैसर्स रामजी डेयरी मिल्क फूड प्रोडक्ट इण्डिया, एच–124 रिको करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया,बीकानेर, राजस्थान । निवासी–सोनगिरी का कुंआ, पारीक चौक, बीकानेर, राजस्थान । ने **अमानक स्तर (Sub-standard) as the sale of admixture of hydrogenated and unhydrogenated edible veg.fat and milk fat is prohibited under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) ,ao feF;kNki ¼Misbranded**) का विक्रय एंव

निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उप धारा (2) (पप) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एंव धारा 52 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी न्यायनिर्णयन स्वीकृति, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां),पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र,संसोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र प्रपत्र–5 ए,नमूना खरीद की रसीद 112,मौका फर्द, राशन कार्ड श्री संतोष जैन,इनवोईस 444 मैसर्स राम जी डेयरी बीकानेर,फार्म बी प्रमाण पत्र मै0 पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी पीपाड शहर,फार्म वेट–03 प्रमाण पत्र मै0 पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी पीपाड शहर,अभिग्रहण ज्ञापन प्रारूप–2,अभिग्रहण आदेश का प्रारूप–3,प्रतिभू–बंधपत्र का प्रारूप–4,जप्त खाद्य (Sized Article) की सूचना अभिहित अधिकारी को,अभिहित अधिकारी का खाद्य विश्लेषक को लिखा पत्र 14783, नमूना स0 एम–314 एंव सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद,नमूना सं0 एम–314 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा,नमूना संख्या एम–314 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा,मैसर्स रामजी डेयरी बीकानेर को लिखा पत्र 11–12, प्रारूप टप्एजांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 5731–34,खाद्य विश्लेषक का पत्र 587–94, जांच रिपोर्ट फार्म बी एल एस 724/एक्ट/2012/747, मैसर्स रामजी डेयरी बीकानेर का पत्र,रामजी डेयरी बीकानेर का वा0 कर विभाग का फार्म वेट–03 प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक **06.11.2012 को 12:30** पर विक्रेता श्री सन्तोष जैन उम्र 29 वर्ष पुत्र श्री सम्पतराज जी जाति जैन**(एफ बी ओ)**फर्म–मैसर्स–पा र्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पीपाड सिटी पर पहुंच कर श्री सन्तोष जैन को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया श्री सन्तोष जैन उस वक्त आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी तेल, एंव किराणा का सामान बेच रहे थे एंव बेचने हेतु अपने कब्जे मे रखें हुए पाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2012 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने नही होना बताया एंव उक्त फर्म का मालिक श्री सम्पतराज जैन(कांकरिया) निवासी– काला भाटा, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर होना बताया एंव इस बाबत् वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी फार्म बी प्रमाण पत्र एंव फार्म वेट–03 प्रमाण पत्र पेश किया, दुकान एंव दुकान के उपरी मंजील पर स्थित गौदाम का निरीक्षण करने पर गौदाम में **माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड (1 लिटर X15) X 16 पैकेट्स**/कार्टून आम जनता हेतु विक्रय वास्ते रखा हुआ/प्रदर्शित किया हुआ था आम जनता को विक्रेय हेतु था, मे मिलावट का शक होने पर **माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड 1 लिटर पैक** के एक ही बैच एंव निर्माण तिथी के 4 मूल पैकेट्स खरीद किये गये, जिसकी कीमत विक्रेता श्री सन्तोष जैन को **600/–** रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाते हुए मौके पर उपस्थित गवाहान श्री बगदाराम चौधरी पुत्र श्री गिरधारी राम चौधरी निवासी चूना भटिया भैरा, पीपाड शहर जि0जोधपुर एंव प्रार्थी के साथ गये श्री सुमित पुरोहित पुत्र श्री जी0 एल0 पुरोहित, लेब टेक्निशियन, चल प्रयोगशाला, कार्या0 मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी– जोधपुर ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान एंव स्वंय के हस्ताक्षर किये/करवायें। उक्त **माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड (1 लिटर X15) X 16 पैकेट्स** की खरीद बाबत् श्री सन्तोष ने फर्म–मैसर्स रामजी

डेयरी मिल्क फूड प्रोडक्ट इण्डिया, एच–124 रिको करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, राजस्थान बील/इनवोईस संख्या 444 दिनांक 05.11.2012 पेश किया जिसका इन्द्राज फार्म 5 ए पर किया गया, फार्म सं. 5ए की एक प्रति अप्रार्थी श्री सन्तोष जैन को देकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड 1 लिटर पैक** के चार मूल भागो हेतु लेबल तैयार कर लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **एम–314** दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूना को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम–314** हस्ताक्षर युक्त डॉ. रमेश माथुर, जिला अभिहित अधिकारी, एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से गोलाई मे चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना एम–314 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड (1 लिटर X15) X 16 (240 लिटर) पैकेट्स में से नमूना एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत लेने के पश्चात् दुकान की उपरी मंजील पर स्थित गौदाम (साईज लगभग 15 X 8 फिट है) पर उक्त शेष माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड (1 लिटर X15) X 16 पैकेट्स(236 लिटर) एंव माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड (500एम.एल- X 30) X 05 बाक्स (75लिटर) है को धारा 38(1) एंव नियम 2.3 के तहत जप्त (Sized) कर सिज्ड माल विक्रेता श्री सन्तोष कुमार जैन को सुरक्षित रखने हेतु उनकी अभिरक्षा मे सुपुर्द कर अग्रीम आदेशों तक गौदाम मे अन्य भण्डारण की हुई खाद्य सामग्रियों का हटाकर सुरक्षित रख कर गौदाम को सिल चेपा कर किया गया जिनका विवरण अभिग्रहण ज्ञापन प्रारूप–2 एंव अभिग्रहण आदेश का प्रारूप–3 एंव प्रतिभू–बंधपत्र का प्रारूप–4 में दिया गया है को मौके पर तैयार किये जिनमे प्रतिभू श्री पिन्टू माली पुत्र श्री जयराम जी निवासी–अशोक नगर पीपाड शहर जिला जोधपुर एंव श्री लीलाराम जाट पुत्र श्री गिरधारी राम निवासी– पीपाड शहर जिला जोधपुर के एंव गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये एंव विक्रेता श्री सन्तोष जैन के हस्ताक्षर कराये गये एंव मैने स्वय ने हस्ताक्षर किये। उक्त सिजर जिस सिल से किया गया उसका सिल इम्पेशन उपरोक्त अभिग्रहण प्रारूपो पर लगाया गया । उक्त तीनो प्रारूपो की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है । उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी ने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की एंव मौके पर मौका फर्द तैयार की जो असल मौका फर्द सलंग्न है। यह कि कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर

खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 07.11.2012 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल है। नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 06.11.2012 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 06.11.2012 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग हैं। अभिहित अधिकारी जोधपुर को पत्र दिनांक 07.11.2012 के द्वारा जप्त (Sized) माल की सुचना दी गयी जो पत्र में क्रम संख्या 6 एंव 7 में है । निर्माता फर्म मैसर्स– रामजी डेयरी मिल्क फूड प्रोडक्ट इण्डिया, एच–124 रिको करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, राजस्थान को उनके बील/इनवोईस संख्या 444 दिनांक 05.11.2012 के सन्दर्भ मे रजि0 पत्र संख्या 11–12 दिनांक 07.11.2012 के साथ फार्म–ट। संलग्न कर प्रेषित किया एंव उनकी फर्म से संबधित सुचनाऐ चाही गयी । निर्माता फर्म मैसर्स– रामजी डेयरी मिल्क फूड प्रोडक्ट इण्डिया, एच–124 रिको करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, राजस्थान ने पत्र दिनांक 21.12.2012 के साथ उनकी फर्म का वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वेट–03 प्रमाण पत्र प्रेषित किया जिसके अनुसार उनकी फर्म का मालिक श्री राहुल पारीक पुत्र श्री नित्यानन्द पारीक निवासी–सोनगिरी का कुंआ, पारीक चौक, बिकानेर, राजस्थान है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 5743–46 दिनांक 17.12.2012 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल एस 724/एक्ट/2012/747 दिनांक 04.12.2012 एंव खाद्य वि लेशक जोधपुर का वि लेशण मे विलम्ब लगने बाबत् पत्र संख्या 587–94 दिनांक 08.11.2012 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड 1 लिटर पैक नमूना संख्या एम–314 अमानक स्तर (Sub-standard)** as the sale of admixture of hydrogenated and unhydrogenated edible veg.fat and milk fat is prohibited under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) एंव **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया, । प्रार्थी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित असल मूल कागजात एंव अधिसूचनाओं की छाया प्रतियॉ वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला अभिहित अधिकारी, जोधपुर को वास्ते न्याय निर्णयण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये तत्प चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण के सभी दस्तावेजो का अवलोकन एंव अध्यन्न कर परिवाद न्यायनिर्णयण हेतु पेश करने हेतु अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2012/स्वीकृति/एम–314 /1942 दिनांक 26.02.2013 के द्वारा जारी कर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया । चूंकि अप्रार्थी ने **माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड 1 लिटर पैक अमानक स्तर (Sub-standard)** as the sale of admixture of hydrogenated and unhydrogenated edible veg.fat and milk fat is prohibited under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on saसमेद्ध एंव **मिथ्याछाप (Misbranded)** का निर्माण/विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2001 की **धारा 51 एंव धारा 52** में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण **1.** श्री सन्तोष जैन उम्र 29 वर्ष पुत्र श्री सम्पतराज जी जाति

जैन(**एफ बी ओ**)फर्म–मैसर्स–पा र्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर निवासी– काला भाटा, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर । **2.** श्री सम्पतराज कांकरिया(जैन)(**एफ बी ओ/मालिक**)फर्म–मैसर्स–पा र्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर निवासी– काला भाटा, पीपाड सिटी, जिला–जोधपुर । **3.** श्री राहुल पारीक पुत्र श्री नित्यानन्द पारीक(**निर्माता/मालिक**)फर्म–मैसर्स रामजी डेयरी मिल्क फूड प्रोडक्ट इण्डिया, एच–124 रिको करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया,बीकानेर, राजस्थान । निवासी–सोनगिरी का कुंआ, पारीक चौक, बीकानेर, राजस्थान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। **अप्रार्थी संख्या 1** श्री महेन्द्र दत्त पुरोहित ने उक्त फर्म के मनोनित प्रतिनिधी के रूप में दिनांक 29.05.2013 को स्वंय उस्थित होकर अवगत कराया की वर्तमान मे हमारे फर्म मे किसी प्रकार का पान मसाला एंव गुटखे का निर्माण व विक्रय नही किया जा रहा है एंव भविष्य मे अगर पान मसाला का निर्माण एंव विक्रय किया जाता है तो वह खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव विनियम 2011 के तहत प्रावधानो के अर्न्तगत किया जावेगा कबूल किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया गया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं की जावेगी। अतः उन पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण ड्रॉप किया जावें।

चूंकि परिवाद के अप्रार्थी श्री महेन्द्र दत्त पुरोहित ने स्वयं ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए अपना जुर्म कबूल किया तथा न्यूनतम जुर्माना राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 में से मनोनित प्रतिनिधि ने इस प्रकरण में वर्णित अपराध को करना स्वीकार किया है तथा यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में उक्त फर्म में पान मसाला से सम्बंधित कोई उत्पादन एवं विक्रय कार्य नहीं किया जारहा है। यदि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये नियम उप नियम के विरूद्ध कोई कार्य करता है तो हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अतः परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एल एस 724/एक्ट/2012/747 दिनांक 04.12.2012 जिसे अनुसार **अप्रार्थी संख्या 1 से 2** के दुकान/गौदाम से लिये गये **माईल्ड फैट(बंशी, रामजी डेयरी) प्रोप्रायटरी फूड 1 लिटर पैक** जिसका आम जनता हेतु विक्रय हेतु निर्माण **अप्रार्थी संख्या 3** ने किया है की जांच रिपोर्ट में **अमानक स्तर (Sub-standard)** as the sale of admixture of hydrogenated and unhydrogenated edible veg.fat and milk fat is prohibited under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) एंव **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी **अप्रार्थी संख्या 1 से 3** ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(पप) के तहत **अमानक स्तर (Sub-standard)** as the sale of admixture of hydrogenated

and unhydrogenated edible veg.fat and milk fat is prohibited under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) एंव **मिथ्याछाप (Misbranded)** पदार्थ बेचने एंव निर्माण करने के दोषी है, जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की क्रम ाः **धारा 51 एंव धारा 52** पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए **अप्रार्थी संख्या 1 से 3** को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है, लेकिन अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की **धारा 51** के तहत **अप्रार्थी संख्या 1 से 2 पर** रूपये **1,50,000/–** अक्षरे एक लाख पचास हजार एंव उपरोक्त अधिनियम की **धारा 52** के तहत रूपये **50,000/–** अक्षरे पचास हजार (**कुल भास्ती 2,00000/– दो लाख रूपये**) की शास्ती आरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिनियम की **धारा 51** के तहत **अप्रार्थी संख्या 3 पर** रूपये **4,00000/–** अक्षरे **चार लाख** एंव उपरोक्त अधिनियम की **धारा 52** के तहत रूपये **1,00000/–** अक्षरे **एक लाख** (**कुल भास्ती 5,00000/– पांच लाख रूपये**) की शास्ती आरोपित की जाती है अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि निर्धारित मद में जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय मे पेश करें। उक्त दोषी पाये गये व्यक्तियों को गल्ती का सुधार करने तथा उक्त खाद्य पदार्थ नष्ट करने के निर्देश दिये गये।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांकः 17.07.2013 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम
जोधपुर

क्रमांक — दिनांक

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. श्री खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर,राजस्थान।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर,महोदय, जोधपुर ।
3. श्री अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
4. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
5. अप्रार्थी संख्या 1 से 3

(अरूण कुमार हसीजा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम

जोधपुर